पत्र संख्या-7/वि॰वि॰सं॰-03-97/2005 (पार्ट-1) का॰ 4087,

झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

प्रेषक,

मुखत्यार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार एवं झारखंड,
हिनू, रांची ।

रांची, दिनांक-06 दिसम्बर, 2005 ई॰

विषय :- **झारखंड सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्राप्त की जाने वाली फीस (राशि) को जमा किए जाने के निमित्त शीर्ष निर्धारण के संबंध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची के अधिसूचना संख्या-3890, दिनांक-14.11.2005 (प्रति संलग्न) के द्वारा झारखंड सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 अधिसूचित किया गया है । उक्त नियम के आलोक में सूचना उपलब्ध कराने के निमित्त आवेदक से निर्धारित राशि (फीस) प्राप्त किया जाना है, परन्तु प्राप्त किये गए राशि (फीस) को सरकारी खजाने में किस शीर्ष में जमा किया जाय, से संबंधित मामला विचाराधीन था ।

इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा परामर्श दिया गया है कि ऐसी प्राप्त राशि को निम्नांकित शीर्ष में जमा किया जाए :-

"मुख्य शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवायें, लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियाँ, उप शीर्ष-0001-झारखंड सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्राप्त फीस इत्यादि"

अनुरोध है कि तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय ।

अनुलग्नक- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

6/12

(मुखत्यार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–7/वि॰वि॰सं॰–03–97/2005(पार्ट–1) का॰4087/ रांची, दिनांक–06दिसम्बर, 2005

प्रतिलिपि– झारखंड राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा रांची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इसकी 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (प्रशाखा–7) को उपलब्ध करायी जाय ।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–7/वि॰वि॰सं॰–03–97/2005(पार्ट–1) का॰4087/ रांची, दिनांक–06दिसम्बर, 2005

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप कोषागार/सभी राज्य सरकार के निगम/निकाय/उपक्रम/गैर सरकारी संस्थाएँ, झारखंड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।